सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष, 1947 (श०)

संख्या - 581 राँची, शुक्रवार, 26 दिसम्बर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2025

संख्या-2/मुकदमा-04-34/2025 का. 7547--WP(S) No. 1596/2020 मोहिनी रितिका टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-28.07.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-4306, दिनांक-08.12.2025 के द्वारा वादी सुश्री मोहिनी रितिका टोप्पो, कोटि-अनुसूचित जनजाति, (अनुक्रमांक-68068455) को झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत Sports Quota (Horizontal Reservation) के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त है। सचिव, झारखण्ड लोक सेवा अयोग, राँची के पत्रांक-4306, दिनांक-08.12.2025 में वर्णित है कि विषयांकित वाद संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2016 (विज्ञापन संख्या-23/2016) में खेल कूद कोटे में चयन नहीं होने से संबंधित है। WP(S) No. 1596/2020 मोहिनी रितिका टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-28.07.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः

"23. The judgment relied upon by the counsel for the respondent-JPSC and the State Government helps the case of the petitioner as the issue in the case of Shilpa Dalmia (supra) was whether the Certificate produced in the said case was valid as per the Advertisement and Sports Policy. In the case of Shilpa Dalmia (supra) the certificates produced by the petitioner did not fall under the conditions mentioned in the Advertisement and the relevant Clause of the Sports Policy.

In the case at hand, the certificate produced by the petitioner falls under the conditions mentioned in the Clause 7(Gha) of the Advertisement and the Sports Policy as the petitioner has secured medal (second position, Silver Medal) in the year 2005 for a championship organized by Karate-Do Association of Jharkhand in compliance with the Olympic charter and Karate-Do Association of Jharkhand was duly affiliated to All India Karate-Do 16 2025:JHHC:20931 Federation recognized by Indian Olympic Association and World Karate Federation duly recognized by International Olympic Committee in the year 2005 and in view of the certificate produced by the petitioner, the petitioner fulfilled the eligibility criteria of the Advertisement and is eligible.

24. Having regard to the facts that the petitioner fulfils the eligibility criteria as per the Advertisement, Sports Policy and the certificate dated 10.09.2005 has been found to be valid by the State Government as per the Advertisement, the act of the respondents in rejecting the candidature of the petitioner is arbitrary and illegal. The petitioner is eligible to be appointed against the Sports Quota and the petitioner candidature should be considered as there are 6 seats vacant. Accordingly, the respondent JPSC would consider the claim of the petitioner and make necessary recommendation."

2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त परीक्षा के साक्षात्कार में **Sports Reservation** का दावा करने वाले केवल 02(दो) अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। उपस्थित दोनों अभ्यर्थियों को **Sports Quota** का लाभ नहीं दिया गया था, क्योंकि इनका **Sports Certificate** मान्य नहीं हुआ था। उपस्थित अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी का चयन मेधा के आधार पर **Jharkhand Planning Service** के अंतर्गत किया गया है ।

- विभाग से प्राप्त संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के लिए प्राप्त कुल-326 रिक्ति के विरूद्ध आयोग द्वारा पत्रांक-950, दिनांक-19.05.2020 के माध्यम से समस्त रिक्तियों की अनुशंसा प्रेषित की जा चुकी है ।

3. तदालोक में WP(S) No. 1596/2020 मोहिनी रितिका टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-28.07.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के माध्यम से चयनित सुश्री मोहिनी रितिका टोप्पो की उप समाहर्त्ता के पद पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध **Sports Quota(Horizontal Reservation)** में नियुक्ति की जा सकती है। भविष्य में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि में अनुसूचित जनजाति में रिक्ति उपलब्ध होने पर स्वतः उन्हें अनुसूचित जनजाति कोटि में **Sports Quota(Horizontal Reservation)** अन्तर्गत सामंजित समझा जायेगा ।

अतः झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा एवं WP(S) No. 1596/2020 मोहिनी रितिका टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में वर्णित तथ्यों के आलोक में सुश्री मोहिनी रितिका टोप्पो (कोटि-अनुसूचित जनजाति), अनुक्रमांक-68068455 की झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि (वेतनमान PB-II, 9300-34800 ग्रेड पे 5400) में अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध **Sports Quota (Horizontal Reservation)** के अन्तर्गत परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाता है :-

(i) अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। संस्थागत प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें जिला प्रशिक्षण में भेजा जाएगा, जहाँ वे कोषागार प्रशिक्षण, राजस्व प्रशिक्षण एवं न्यायिक प्रशिक्षण के साथ अन्य अनिवार्य प्रशिक्षण जिला के उपायुक्त के अधीन प्राप्त करेंगे। संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है। नवनियुक्त परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ताओं का प्रशिक्षण विभागीय पत्रांक 2/स्था०नि०-01/08 का0 4191 दिनांक 08.07.2008 द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि एवं कार्यक्रम के अनुरूप सम्पन्न कराया जाएगा ।

(ii) अभ्यर्थी की वरीयता झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अधिसूचना की क्रम संख्या वरीयता सूची / मेधा क्रमांक नहीं है ।

(iii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक- 5524 दिनांक 18.09.2025 एवं ज्ञापांक 6800 दिनांक 21.11.2025 के आलोक में अभ्यर्थी 06(छः) सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण हेतु श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में अधिसूचना निर्गत की तिथि से योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।

(iv) समर्पित प्रमाण पत्रों में भविष्य में जाँचोपरान्त किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जाएगी ।

(v) योगदान देते समय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-1919 दिनांक 28.01.76 द्वारा दहेज न लेने/देने से संबंधित घोषणा पत्र (प्रति संलग्न) समर्पित करना होगा ।

(vi) योगदान देते समय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या- 5437 दिनांक 09.09.2010 एवं 9519 दिनांक 22.09.2014 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप प्रस्तुत करेंगे।

(vii) योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (**Relieving Order**) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्यागपत्र की प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा।

(viii) अभ्यर्थी निदेशानुसार **I-Got** प्रमाण पत्र, Laptop एवं निर्धारित युनिफार्म परिधान के साथ योगदान देंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 581 - 50